

बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र सं० वि०( 27 ) पें० को०-67/2016-756  
पटना, दिनांक 24-10-2017 के द्वारा निर्गत

**अनुलग्नक-क**

# NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान हेतु प्रपत्र

( दिनांक 01-09-2005 से प्रभावी )

नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को  
मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्रपत्र

सरकारी सेवक का नाम ( हिन्दी में ) .....

सरकारी सेवक का नाम ( अंग्रेजी Capital Letter में ) .....

पदनाम ( हिन्दी में ) .....

पदनाम ( अंग्रेजी Capital Letter में ) .....

कार्यालय/विद्यालय का नाम .....

विभाग का नाम .....

सेवा आरम्भ की तिथि .....

सेवा समाप्ति की तिथि .....

मृत्यु की तिथि .....

मोबाईल नं० .....

सरकारी सेवक का यूनिक आई.डी. ....

( क ) प्रान नं० ..... ( ख ) पैन नं०. ....

( ग ) आधार नं०. .... ( घ ) ई-मेल .....

मूल्य : 40/-

## अनुलग्नक-क

### नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्रपत्र

१. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) .....  
(ii) Name of Govt. Servant (in capital letters) .....
२. (i) पिता/पति का नाम (हिन्दी में) .....  
(ii) Father's/Husband's Name (in capital letters) .....
३. (i) स्थायी पता (हिन्दी में) : ग्राम/मोहल्ला .....  
डाकघर ..... थाना ..... जिला .....  
राज्य ..... पिनकोड ..... मोबाईल नं० .....  
(ii) Permanent Address (in capital letters) :  
Vill/Moh.....  
Post ..... P.S. .... District .....  
State ..... Pin Code ..... Mobile No. ....
४. (i) पत्राचार का पता (हिन्दी में) : ग्राम/मोहल्ला .....  
डाकघर ..... थाना ..... जिला .....  
राज्य ..... पिनकोड ..... मोबाईल नं० .....  
(ii) Address for correspondence (in capital letters) :  
Vill/Moh.....  
Post ..... P.S. .... District .....  
State ..... Pin Code ..... Mobile No. ....
५. (i) अंतिम पदस्थापन की स्थिति : पदनाम (हिन्दी में) .....  
Status of last posting : Designation (in English) .....  
(ii) कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में) .....  
Name of Office/department (in English) .....
६. सेवा आरम्भ की तिथि .....
७. (i) सेवा समाप्ति की तिथि .....  
(ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो) .....

८. कुल सेवा अवधि : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
- व्यवधान की अवधि .....
९. अंतिम वेतन .....
१०. औसत वेतन .....
११. कोषागार का नाम ..... (जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)
१२. आवेदक की जन्म तिथि .....
१३. ऊँचाई .....
१४. पहचान चिन्ह .....
१५. सरकारी सेवक का मोबाईल नं० .....
१६. सरकारी सेवक का यूनिक आई.डी. ....
- (क) प्रान नं० :.....
- (ख) पैन नं०. :.....
- (ग) आधार नं०. :.....
- (घ) ई-मेल :.....

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

# फोटोग्राफ

नोट :- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ ।  
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ ।

## परिवार के सदस्यों का विवरण :

| क्रमांक | नाम (Name) | सरकारी सेवक से सम्बन्ध | जन्म तिथि | वैवाहिक स्थिति |
|---------|------------|------------------------|-----------|----------------|
| 1       | 2          | 3                      | 4         | 5              |
| 1.      |            |                        |           |                |
| 2.      |            |                        |           |                |
| 3.      |            |                        |           |                |
| 4.      |            |                        |           |                |
| 5.      |            |                        |           |                |
| 6.      |            |                        |           |                |
| 7.      |            |                        |           |                |

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक ( मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी ) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

१.

२.

३.

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

## घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपने सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने पूर्व में इसके लिए न तो आवेदन दिया है और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा ।

२. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा ।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/  
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी  
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

## गणना-तालिका

१. सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम .....
  २. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि .....
  ३. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि .....
  ४. सेवा की कुल अवधि : वर्ष..... माह..... दिन.....
  ५. अन्तिम वेतन .....
  ६. औसत वेतन .....
  ७. उपदान की राशि .....
- (अंतिम वेतन + महँगाई भत्ता) × छहमाही सेवा की अवधि

4

### ८. मृत्यु उपदान

- (क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
- (ख) एक वर्ष या अधिक तथा पाँच वर्ष से कम - परिलब्धि का छः गुणा
- (ग) पाँच वर्ष या अधिक तथा बीस वर्ष से कम - परिलब्धि का बारह गुणा
- (घ) बीस वर्ष या अधिक - 
$$\frac{(\text{अंतिम वेतन} + \text{महँगाई भत्ता}) \times \text{छहमाही सेवा की अवधि}}{2}$$

2

नोट :- मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी :-

| सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि-      | अधिकतम सीमा  |
|------------------------------------|--------------|
| (i) 01.09.2005 से 31.03.2007 तक -  | रु० 3.50 लाख |
| (ii) 01.04.2007 से 31.03.2017 तक - | रु० 10 लाख   |
| (iii) 01.04.2017 के बाद -          | रु० 20 लाख   |

९. मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति उपदान की राशि .....
१०. उपदान की राशि का भुगतान .....कोषागार से किया जायेगा ।
११. उपदान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष-2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
१२. यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यदि उपदान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन सेवा निवृत्त कर्मी हकदार हो, तो वह अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा । संबंधित सेवा निवृत्त कर्मी से इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न है ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर ।

# महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... की अर्हक  
सेवा .....वर्ष.....महीना.....दिन सम्यक् रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा  
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-622, दिनांक 28.08.2017 के आलोक में .....  
.....रुपये की राशि मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में अनुमान्य है ।  
गणना का सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है ।

महालेखाकार, बिहार,  
पटना ।

## अराजपत्रित सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र का फारम

श्री ..... का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र  
 जो ..... का पद ग्रहण करने के लिए  
 ..... के रूप में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए \*जा रहे हैं।  
 ..... का कर्तव्य-ग्रहण करने

इन्होंने तारीख ..... 20.... तक.....के रूप में प्रतिमाह.....रु० की दर से वेतन और.....के रूप में प्रतिमास.....रु० की दर से कार्यकारी भत्ता लिया है। इनसे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई हैं।

इन्होंने ता०..... 20..... के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार सौंप दिया। इस पदाधिकारी के वेतन से कोई भी वसूली नहीं\*

पीठ पर लिखी वसूली करनी है।

2. चालू वर्ष के आरम्भ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये आयकर का ब्यौरा पीठ पर दिया गया है।

स्थान ..... जिस कार्यालय में पिछली बार इनके वेतन की निकासी हुई  
 उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

तारीख .....

\*अनपेक्षित शब्द कलम से काट दें।

## इसे वह कार्यालय भरेगा जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री/श्रीमती ..... ने इस कार्यालय में  
 तारीख ..... 20..... के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मेरे कार्यालय में ये  
 जिस पद पर आये हैं उनका वेतन .....रु० है।

स्थान ..... जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के  
 प्रधान का नाम और पदनाम

ता० .....

टिप्पणी : 1. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ऐसे बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम हो।

2. अराजपत्रित सरकारी सेवक का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित सरकारी सेवक छोड़ रहा हो, न कि कोषागार-पदाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेन्सी या राज्य में स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र पर महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात भी लिख दी जाय।

## की जानेवाली वसूलियों का ब्यौरा

वसूली किस प्रकार की है .....

रकम .....रु० .....

.....किस्तों में वसूली की जाय ।

इस पदाधिकारी के छुट्टी-वेतन से कटौती की गयी है ।  
वेतन

..... मद्दे .....

..... मद्दे .....

..... मद्दे .....

### चालू वर्ष के आरम्भ से आज तक वसूले गये आयकर का ब्यौरा

| महीनों का नाम | सकल रकम                         |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         | मविष्य निधि और अन्य निधियों मद्दे कटौती | जीवन बीमा प्रीमियम मद्दे कटौतियाँ | शुद्ध वेतन जिसपर कर की गणना की गई है। | आयकर जिसको कटौती की गई है। | अभ्युक्ति |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
|               | वेतन, मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन | वह अवधि जिसके लिए स्तंभ 2 में उल्लिखित मद्दे का भुगतान किया । | मकान भत्ता या भाड़ा मुक्त क्वार्टर का मूल्य | वेतन या मजदूरी, वेतन अग्रिम आदि के बदले या उसके अतिरिक्त मिलनेवाली बोनस, उपदान, फीस कमीशन, परिलब्धि या भत्ता अथवा लाभ। (हरेक का अलग-अलग दिखाया जाए) । |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| 1             | 2                               | 3                                                             | 4                                           | 5                                                                                                                                                     | 6       | 7                                       | 8                                 | 9                                     | 10                         |           |
|               | रु० पै०                         | रु० पै०                                                       | रु० पै०                                     | रु० पै०                                                                                                                                               | रु० पै० | रु० पै०                                 | रु० पै०                           | रु० पै०                               | रु० पै०                    |           |
| अप्रैल, 20    |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| मई, 20        |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| जून, 20       |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| जुलाई, 20     |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| अगस्त, 20     |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| सितम्बर, 20   |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| अक्तूबर, 20   |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| नवम्बर, 20    |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| दिसम्बर, 20   |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| जनवरी, 20     |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| फरवरी, 20     |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |
| मार्च, 20     |                                 |                                                               |                                             |                                                                                                                                                       |         |                                         |                                   |                                       |                            |           |

# नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में

पत्र सं० वि०(२७) पें० को०-६७/२०१६-७५६

बिहार सरकार, वित्त विभाग

पटना, दिनांक २४-१०-२०१७

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/  
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी ।

विषय :- नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय संकल्प सं०-६२२, दिनांक-२८.०८.२०१७

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं०६२२, दिनांक-२८.०८.२०१७ द्वारा NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप ही दिनांक-०१.०९.२००५ के प्रभाव से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान किया गया है । इसके भुगतान की प्रक्रिया के संदर्भ में मार्गदर्शन निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । इस क्रम में NPS से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(क) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो आज की तिथि में पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के लिए लागू है । सेवानिवृत्त कर्मी/उनके उत्तराधिकारी संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-क) भरकर कार्यालय प्रधान को समर्पित करेंगे । कार्यालय प्रधान आवश्यक प्रविष्टियों को भरकर सेवा पुस्त के साथ इसे महालेखाकार बिहार को अग्रसारित करेंगे । सेवा पुस्त में सेवा सत्यापन एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियों की जाँच कर ली जायेगी ।

(ख) महालेखाकार, बिहार द्वारा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा जो संबंधित कोषागार को संबोधित होगा तथा इसकी प्रति संबंधित कर्मी/उनके उत्तराधिकारी एवं प्रशासी विभाग को भी प्रेषित की जायेगी ।

(ग) भुगतान राशि की गणना इसके लिए प्रचलित/लागू सूत्र के आलोक में की जायेगी जो संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित है । सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु की स्थिति में उपदान राशि की गणना में क्रमशः संलग्न गणना तालिका की कंडिका-७ एवं ८ में अंकित सूत्र का अनुप्रयोग किया जायेगा ।

(घ) सेवावधि की गणना छः माही काल खण्डों के रूप में की जायेगी । इस हेतु तीन माह से कम की सेवावधि की गणना नहीं की जायेगी; लेकिन तीन माह या इससे अधिक की सेवावधि की गणना अगले छः माही के रूप में की जायेगी ।

२. अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(शिव शंकर मिश्र)

सचिव के विशेष सचिव ।

प्राप्ति स्थान

**विभागीय पुस्तक एवं फार्म संसार**

ग्राउण्ड फ्लोर, शालीग्राम कॉम्पलेक्स (नियर कुलहड़िया कॉम्पलेक्स)  
आदित्यविजन जिप के नीचे, अशोक राजपथ, पटना-४, मो०-९२३४८१२१२४